

Order sheet [Contd]

case No: BA. -341 / 17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>27-09-17</p> <p>02:30 to 2:45 PM</p>	<p>आवेदक/अभियुक्त दलवीर द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0। थाना मौ के अपराध क्रमांक 195/17 अंतर्गत धारा-452, 294, 506 भा0दं0सं0 की कैफीयत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक दलवीर सिंह के पुत्र निर्भय यादव द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त दलवीर सिंह के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 भां0दं0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके विरुद्ध पुलिस थाना मौ ने एक झूठा अपराध दिनांक 07.08.17 को फरियादी संजू यादव की रिपोर्ट पर से पंजीबद्ध कर लिया है। जबकि आवेदक एक वर्ष से कस्बा मौ छोड़े हुए है और ग्राम पंचायत परासनी जिला जालौन उ0प्र0 में ट्रेक्टर चला रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। आवेदक घटना दिनांक 07.08.17 को कस्बा मौ में नहीं था। उसके विरुद्ध जो प्रकरण पुलिस थाना मौ द्वारा पंजीबद्ध किया गया है वह पार्टीबंदी के कारण विरोधियों के द्वारा झूठा पंजीबद्ध कराया गया है। आवेदक के छोटे भाई की पत्नी श्रीमती प्रीती यादव दो बार मौ नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी है और चुनाव आने वाले हैं। इसलिए विरोधियों ने अभी से उसके विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर प्रकरण पंजीबद्ध कराने प्रारंभ कर दिए हैं। आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। उक्त अपराध में पुलिस थाना मौ आवेदक को गिरफ्तार करना चाहती है, ऐसी उसे आशंका है। आवेदक संभ्रान्त नगरिक होकर बाल बच्चेदार व्यक्ति है। यदि आवेदक को गिरफ्तार किया गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफीयत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 07.08.17 को रात्रि 09:30 बजे के लगभग फरियादी संजीव यादव अपने ताऊ प्रताप सिंह यादव के साथ अपने घर लुहारपुरा वार्ड क्रमांक 01 मौ में</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary
	<p>था कि तभी पुरानी रंजिश को लेकर पप्पन उर्फ दलवीर सिंह यादव फरियादी के घर के अंदर घुस आया और फरियादी व उसके ताऊ को मां बहिन की अश्लील गालियां देने लगा, मना करने पर कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगा तभी मौके पर मुकेश सिंह यादव और जगदीश सिंह यादव आ गए जिन्हें देखकर वह भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 08.08.17 को थाना मौ में की गई।</p> <p>इस मामले में अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पप्पन उर्फ दलवीर के द्वारा रात्रि के समय फरियादी के घर के अंदर घुसकर आगनेयास्त्र दिखाकर गालियां और धमकी दी गई है। आवेदक की ओर से 16.08.17 का प्रमाणपत्र तथा पुलिस महानिरीक्षक चंबल संभाग की ओर किए गए आवेदन की प्रति पेश की गई है। जिसमें यह बताया गया है कि आवेदक घटनास्थल पर नहीं था। आवेदक घटनास्थल पर था अथवा नहीं या गुणदोष के प्रश्न हैं।</p> <p>मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p>केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे।</p> <p>नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	